न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 129/2025 पपाराम बनाम अमराराम वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.1.26	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी कृषि भूमियां ग्राम नारनाडी तहसील झंवर के खसरा नम्बर 76 रकबा 1.7159 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 77 रकबा 3.2941 हैक्टेयर भूमि स्थित है, है जिसमें प्रार्थी का 1/14 हिस्सा है तथा अपने हिस्से अनुसार सामलाती रूप से काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि का आज दिनांक विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं होने से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से आपसी सहमति से विभाजन–बंटवाडा करवाने का आग्रह किया परन्तु अप्रार्थीगण सहमत नहीं हुए तथा स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जासुदा कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध निर्माण एवं मौका स्थिति को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतू भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 18 की ओर से कोई जवाब पेश नही कर अधिवक्ता भागीरथ विश्नोई की ओर से अंडरटैंकींग दी जाकर कथन किया किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 18 को विवादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रैकर्ड व मौके को यथास्थिति बाबत् एतराज नहीं होना बताया है। पत्रालवी का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षकारान के अधिवक्तागण प्रार्थीगण बहस सूनी एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त वर्णित विवादग्रस्त कृषि भूमि में सहखातेदार व कब्जाकाश्त है एवं अपने हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 18 द्वारा भी विवादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रैकर्ड व मौके को यथास्थिति बनाये रखने बाबत् कोई एतराज नहीं होना बताया है। पत्रावली में दोनों पक्षकारान द्वारा समान अनुतोष चाहने एवं किसी प्रकार की आपत्ति नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तक धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बह प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि गांव नारनाडी, तहसील झंवर में स्थित खसरा संख्या 76 रकबा 1.7159 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 77 रकबा 3.2941 हैक्टेयर कृषि भूमियों राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। हंसमुख कुमार आर ए एस सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी